

16-1-18 पत्रावली पेश हुई। वकील पसकार
 उपस्थित। वकील प्रार्थी को वापस
 मुकाम प्रा. प्रा. पेश आवश्यक रूप
 से पेश करने की हिदायत दी गई।
 पत्रावली दिनांक 5-2-18 को पेश की

And
 16-1-18

5-2-18 पत्रावली पेश हुई। वकूला द्वारा
 कार्य स्थिति बताने
 काही नहीं की जा
 सका। दिनांक 3-2-18

And
 5-2-18

9/18 पत्रावली पेश हुई। वकील पसकार उप-
 वकील वडी को उपस्थित से 4 व 6
 के वापस मुकाम को वापस की है
 22.12.16 से हिदायत दी जाती है
 कि वकील वकील होने के बाद भी नडी
 के वकील द्वारा वापस मुकाम को वापस
 काही नहीं की है। जबकि वापस मुकाम
 को वापस ले के निष्मानुसार 90
 दिन के भी होने के अन्दर ही जाती
 चाहिए। अतः वकील वडी द्वारा 90
 दिन के अन्दर वापस मुकाम की वापस
 काही नहीं की जाने के कारण
 सब अरेबट हो गया है अतः वडी
 को वापस सब अरेबट होने के कारण

फर्द अहकाम

बनाम

कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

क्र/मुकदमा नम्बर :

आज्ञा वही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>श्वानि किरा जाती है। पशुवर्गीय गाय से कर्तव्य। Sud 9.2.18</p>	